तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संजय जानी पुत्र श्री ईश्वरलाल जानी ब्रहम्पुरी मौहल्ला मु.पो. सांतपुर तहसील आबूरोड़ जिला–सिरोही 307026 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 39/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/125 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.03.2022	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 19.03.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./147/2021/313 दिनांक 23.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सुचना उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार बाली से संबंधित होने से जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/147/2021/542 दिनांक 25.03.2021 के अंतरित की गई। इस पर तहसीलदार बाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2021/318 दिनांक 17.09.2021 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2021/783 दिनांक 28.4.2021 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. क्रमांक RR938137612IN दिनांक 21.05.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। तथा विधि शाखा, कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित सूचना इस कार्यालय के पत्राक/रा.लो.सू.अ./147/2021/01 दिनांक 03.01.2022 के जरिये पंजीयन डाक द्वारा भिजवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	